शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री अलिखेश पति त्रिपाठी

दिनांक : 07.08.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 83

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

| क्र. सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | खैबर–पास स्थिति पार्श्वनाथ हाउसिंग जो अभी चल रहा है, वह किस के स्वामित्व की जमीन पर स्थित है; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम<br>खैबर–पास स्थित पार्श्वनाथ हाउसिंग मै0 पार्श्वनाथ लैण्डमार्क ड्वलैपर्स प्रा0 लि0 के स्वामित्व में भूमि पर स्थित है। |
| ख | इसके स्वामित्व का हस्तानान्तरण कब और किसकी अनुमति से किया गया; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम<br>6.82 हे0 माप की भूमि, DMRC द्वारा मै0 पार्श्वनाथ लैण्डमार्क ड्वलैपर्स प्रा0 लि0 को सम्पत्ति विकास के रूप में आवंटित की गई थी। |
| ग | इससे भू–स्वामी निकाय को कितनी धनराशि प्राप्त हुई; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम<br>यह प्रश्न DMRC से सम्बधित है। |
| घ | यह जमीन किस नियम के तहत वर्तमान भू स्वामी को सौंपी गयी है; समस्त पत्राचार और फाईल नोटिंग भी उपलब्ध कराएं; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम<br>उपरोक्तानुसार। |
| ङ | खैबर–पास स्थित पार्श्वनाथ हाउसिंग की अनुमति तथा बिल्डिंग प्लान की अनुमति / ले–आउट प्लान किस वर्ष में स्वीकृत की गयी; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम<br>खैबर–पास स्थिति पार्श्वनाथ हाउसिंग का लेआउट प्लान एकीकृत निगम की स्थायी समिति द्वारा प्रस्ताव संख्या 726 दिनांक 31.01.2008 द्वारा स्वीकृत किया गया था तदानुसार बिल्डिंग प्लान वर्ष 2009 में बिल्डिंग प्लान कमेटी द्वारा स्वीकृत हुआ है।<br>तथापि संशोधित ले–आउट प्लान दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 313 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम में प्रकियाधीन है। |
| च | किन सक्षम अधिकारियों द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम<br>डी0एम0सी0 एक्ट–1957 की धारा 312–313 में लेआउट प्लान स्वीकृत करने में स्टेंडिग कमेटी सक्षम है तथा डी0एम0सी0 एक्ट–1957 की धारा 336 में बिल्डिंग प्लान स्वीकृत क़रने में बिल्डिंग प्लान कमेटी सक्षम है। |
| छ | क्या स्वीकृति देने का अधिकार उन अधिकारियों के पास था या नियमों का उल्लंघन करते हुए उपरोक्त समस्त स्वीकृति दी गयी थी; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम<br>जी हॉ। डी0एम0सी0 एक्ट–1957 की धारा 312–313 में लेआउट प्लान स्वीकृत करने में स्टेंडिग कमेटी सक्षम है तथा डी0एम0सी0 एक्ट–1957 की धारा 336 में बिल्डिंग प्लान स्वीकृत करने में बिल्डिंग प्लान कमेटी सक्षम है। |
| ज | खैबर–पास स्थित पार्श्वनाथ हाउसिंग के पास समस्त जमीन का हस्तानान्तण किन–किन नियमों व शर्तों पर की गयी थी; समस्त पत्राचार व फाईल नोटिंग की कापी उपलब्ध कराएं; | उत्तरी दिल्ली नगर निगम<br>यह प्रश्न उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित नहीं है। |
| झ | क्या निगम की इतनी कीमती जमीन किसी प्राईवेट बिल्डर को देना निगम के नियमों के अन्तर्गत है; और | उत्तरी दिल्ली नगर निगम<br>मै0 पार्श्वनाथ लैण्डमार्क ड्वलैपर्स प्रा0 लि0 को भूमि DMRC द्वारा आवंटित की गई थी न कि, दिल्ली नगर निगम द्वारा। |
| ञ | क्या जमीन देते समय राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित की गयी थी; प्राप्त राशि का विवरण समस्त फाईल नोटिंग सहित प्रदान करें? | उत्तरी दिल्ली नगर निगम<br>यह प्रश्न उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सम्बधित नहीं है। |

R. S. Parmar
Dy. Secy. (Urban Development)
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat